



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042024-253519
CG-DL-E-02042024-253519

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 2, 2024/चैत्र 13, 1946

No. 222]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 2, 2024/CHAITRA 13, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2024

संख्या 22/2024-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 236(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित वस्तुओं, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की द्वितीय अनुसूची की टैरिफ मद के अंतर्गत आती हों, को, जब भारत के बाहर उनका निर्यात किया गया हो, उन पर उक्त द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सीमाशुल्क से नीचे सारणी के कॉलम (5) में तदनुसूची प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उस हद तक छूट देती है जिस हद तक वह उक्त सारणी के कॉलम (4) में तदनुसूची प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मानक दर से संगणित राशि से अधिक हो, यथा: -

सारणी

क्रम सं.	टैरिफ मद	माल का विवरण	दर	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1006 30 90	काला नमक चावल	शून्य	यदि,

				<p>(क) माल का निर्यात वाराणसी एयर कार्गो, जेएनसीएच, सीएच कांडला, एलसीएस नेपालगंज रोड, एलसीएस सोनौली या एलसीएस बरहनी में स्थित सीमा शुल्क स्टेशन के माध्यम से किया गया हो;</p> <p>(ख) उपर्युक्त सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से निर्यात किए गए ऐसे सामानों की कुल मात्रा एक हजार मीट्रिक टन से अधिक न हो; तथा</p> <p>(ग) निर्यातक उप- आयुक्त सीमाशुल्क अथवा सहायक आयुक्त सीमाशुल्क, जैसा भी मामला हो, को निदेशक कृषि विपणन तथा विदेश व्यापार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है जिसमें निर्यात किए जाने वाले काला नमक चावल की मद एवं मात्रा को प्रमाणित किया गया हो।</p>
--	--	--	--	--

2. यह अधिसूचना दिनांक 3 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/161/2023-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2024

No. 22/2024-Customs

G.S.R. 236(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of the description specified in column (3) of the Table below, falling within the tariff item of the Second Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, when exported out of India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the said Second Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, subject to the conditions specified in the corresponding entry in column (5) of the said Table, namely: —

TABLE

Sl. No.	Tariff item	Description of goods	Rate	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1006 30 90	Kala namak rice	Nil	If, (a) Goods are exported through the customs stations, namely, Varanasi Air Cargo, JNCH, CH Kandla, LCS Nepalgunj Road, LCS Sonauli or LCS Barhni;

				<p>(b) the total quantity of such goods exported through the afore-mentioned customs stations taken collectively, shall not exceed one thousand metric tonnes; and</p> <p>(c) the exporter furnishes a certificate to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, from the Director, Agriculture Marketing & Foreign Trade, Lucknow, Uttar Pradesh, certifying the item and quantity of Kala namak rice to be exported.</p>
--	--	--	--	--

2. This notification shall come into force on the 3rd day of April, 2024.

[F. No. CBIC-190354/161/2023-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.